(2) अनुसूची-दो में कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 19 शीर्षक शासकीय सुधारालय तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

(3) अनुसूची-तीन में कॉलम (2) में अनुक्रमांक 15 शासकीय सुधारालय सिवनी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

(4) (एक) अनुसूची-चार में कॉलम (2) में अनुक्रमांक (2-क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

स.क्र.	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"(2-क)	सहायक शिक्षक	उच्च श्रेणी शिक्षक (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा).	गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह में स्नातक तथा शिक्षक प्रशिक्षण एवं पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव.	1. कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी—अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी—सदस्य 3. सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव. 4. प्राचार्य उ. मा. वि.—सदस्य.

(दो) विद्यमान टिप्पणी को क्रमांक (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक अन्त: स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

(2) सहायक शिक्षकों की पदक्रम सूची जिला स्तर पर विषय समूहवार रूप में—गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह अनुसार पृथक् से तथा सहायक शिक्षकों की एक समेकित पदक्रम सूची के साथ पृथक्-पृथक् संधारित की जाएगी शिक्षक के पद पर इस पदक्रम सूची का उपयोग विषय समूहवार पदोन्नति हेतु किया जाएगा.

(3) जिला एवं राज्य स्तर पर शिक्षक संवर्ग की समेकित पदक्रम सूची सहायक शिक्षक के पद पर वरिष्ठता के अनुसार संधारित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्र. एफ 1-32-2010-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-32/2010-बीस-1, दिनांक 3 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

	(३)	(४)	(५)
		वरिष्ठता के आधार पर सक्षम व्यक्ति.	१. संभागीय शिक्षा अधीक्षक द्वारा मनोनीत अधिकारी—अध्यक्ष. २. प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य. ३. जिला शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव.

शारीरिक शिक्षा

	(३)	(४)	(५)
५. व्यायाम निर्देशक उच्च वेतनमान	व्याख्याता शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय.	१. शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि. २. शारीरिक शिक्षा का ५ वर्ष का अनुभव.	१. संचालक, लोक शिक्षण द्वारा मनोनीत अधिकारी—अध्यक्ष. २. संभागीय शिक्षण अधीक्षक—सदस्य. ३. प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय—सदस्य. ४. उप संचालक, शारीरिक शिक्षा—सदस्य सचिव.
६. व्यायाम निर्देशक निम्न वेतनमान.	व्यायाम निर्देशक उच्च वेतनमान.	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तथा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा. ३ वर्ष का अनुभव.	तदैव.

पदोन्नति

पुस्तकालय

	(३)	(४)	(५)
७. ग्रंथपाल (निम्न वेतनमान)	ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान)	१. लायब्रेरी साइंस में उपाधि अथवा डिप्लोमा. २. निम्न पद पर ३ वर्ष का अनुभव.	१. संचालक, लोक शिक्षण द्वारा मनोनीत अधिकारी—अध्यक्ष. २. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण—सदस्य. ३. प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय,—सदस्य. ४. मुख्य ग्रंथपाल, संचालनालय लोक शिक्षण—सदस्य सचिव.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल